**न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हापुड़।**
**उपस्थितः– हनी गोयल, एच.जे.एस. (UP-2408)**
**CNR No.-UPHP010049182026**

**जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 1434 सन 2026**

आजाद राजपूत पुत्र नौशाद निवासी ग्राम जेई थाना भावनपुर, जिला मेरठ।

**बनाम**

उत्तर प्रदेश सरकार।

अन्तर्गत धारा–152, 61(2) बी0एन0एस0
व धारा–3/5 शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923,
मुकदमा अपराध संख्या 90/2026
थाना–धौलाना, जिला–हापुड़।

**14.07.2026**

**1.** यह जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त जो अपराध संख्या 90 सन् 2026, धारा 152, 61(2) बी0एन0एस0 व धारा–3/5 शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923, थाना धौलाना, जिला हापुड़ के संबंध में अभिरक्षा में है, की ओर से उसे जमानत पर रिहा किये जाने हेतु यह नियमित जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

**2.** संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार, दिनांक 18.03.2026 समय 19.01 बजे वृहद स्थान मुगल गार्डन स्थित इण्डेन, गैस एजेंसी के पास ग्राम पिपलैडा, हल्का थाना धौलाना, जिला हापुड़ में चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर हम पुलिस कर्मचारीगण को देखकर सपकपाये और फोन छिपाते हुए भागने लगे एकबारगी दविश देकर दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया। पकडे जाने पर नाम पता पछत हुए बारी बारी से जामा तलाशी ली गई तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम अजीम राणा पुत्र सलीम राणा निवासी मुगल गार्डन पिपलैहड़ा थाना धौलाना जनपद हापुड़ उम्र करीब 27 वर्ष बताया तथा इसकी जामा तलाशी में इसकी पहनी पेन्ट की दाहिनी जेब से 01 एंड्राईड मोबाईल फोन इनफिनिक्स कंपनी, रंग काला, आईएमईआई नं0–352231212298264/352231212298272 मो० नं0–9634168592 बरामद हुआ। दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम आजाद राजपूत उम्र 30 वर्ष पुत्र नौशाद निवासी ग्राम जई थाना भावनपुर जिला मेरठ बताया इसकी जामा तलाशी से पहनी पैंट की दाहिनी जेब से एक अदद मोबाईल फोन आई फोन कंपनी, रंग हल्का आसमानी, आईएमईआई नं0–359862243582871/359862243786274 मो0नं0–9627010003 बरामद हुआ । पूछने पर पहले तो कुछ देर मौन रहे फिर विश्वास में लेने पर अजीम राणा ने बताया कि साहब मेरे पाकिस्तान के शहजाद भट्टी गैगैंगस्टर/कुख्यात अपराधी (आईएसआई समर्थित) से बातचीत होती है मै उससे इंस्टाग्राम टेलीग्राम से जुड़ा हूं साथ ही उसके एक व्हाट्सअप नम्बर पर भी मेरी चैट होती है और आजाद जो कि मेरा चचेरा भांजा है इससे भी शहजाद भट्टी से वीडियो काल हुई है शहजाद भट्टी के कहने पर मेरे द्वारा दिल्ली स्थित एक मंदिर की रैकी भी की गई है और उस मंदिर के अगल बगल के क्षेत्र के वीडियो भी भेजे गये हैं जिनमे से कुछ वीडियो मेरे मोबाईल पर अभी भी हैं कुछ उसके कहने पर मैने चैट डिलीट भी की है। हम लोग दिसम्बर 2025 से शहजाद भट्टी से जुड़े है। शहजाद भट्टी से एक बार लाईव वीडियो चैट हो रही थी तब उसने अपना व्हाट्स एप लिंक चैट मे भेजा था जिसका नं0– .447555464943 है बाद में मेरी मेरे मोबाईल नं0–9634168592 से शहजाद भट्टी के इसी मो० नंबर पर व्हाट्स एप चैट होने लगी थी। दिनांक 19.2.2. 26 को शहजाद भट्टी के कहने पर उसके द्वारा मेरे व्हाट्स एप पर भेजे गये लोकेशन पर मैंने रमेश नगर मैट्रो स्टेशन दिल्ली, के पास सनातन धर्म मन्दिर और मन्दिर के बाहर की कालोनी का वीडियो/फोटो लेकर, शहजाद भट्टी के व्हाट्स एप्प पर भेजा था। फिर मन्दिर का फोटो/वीडियो उसने मेरे मोबाईल से तुरन्त डिलीट करवा दिया था कालोनी वाला वीडियो मेरे मोबाईल पर अभी भी है। दूसरे दिन आजाद

और मेरी शहजाद भट्टी से व्हाट्स एप्प वीडियो कॉल पर बात हुई थी फिर हमें जालन्धर पंजाब की तरफ जाने की बात भी शहजाद भट्टी कह रहा था लेकिन हम अपने निजी कार्यों की वजह से नहीं गये। मैने रायपुर रसूलपुर फायरिंग पंजाब का वीडियो शहजाद भट्टी के व्हाट्स एप पर डालते हुए उसे वाईस रिकार्डिंग डालकर खुशी का इजहार किया था। शहजाद भट्टी ने मुझे यह भी बताया था कि मेरा एक बन्दा जिसका नाम अली उर्फ बाबू है जो कि मेरा बहुत खास दोस्त है जैसे तुम मेरे दोस्त हो, उसको मैने एक काम सुपुर्द किया था जो वो करेगा इंशा अल्ला जब तुम आओगे तो मैं तुम्हे उससे मिलवाऊंगा। उसके बाद मुझे पता चला कि अम्बाला मे आरडीएक्स के साथ जो तीन बन्दे पकडे गये उसमे अली उर्फ बाबू भी था। उसके बाद से हम लोग अपने को बचा रहे थे। दोनों ने एक स्वर मे बताया कि हम लोग शहजाद भट्टी के लिए काम करते हैं और उसके कहने पर वह जहां की लोकेशन या फोटो वीडियो मांगता है हम दोनों फोटो वीडियो बनाकर उसे व्हाट्स पर भेज देते हैं। साहब हम लोगो से गलती हो गई है। इसके बाद बरामदा मोबाईल फोनों को बारी बारी से चेक किया गया तो अजीम राणा उपरोक्त के मोबाईल फोन की गैलरी में कुछ आपराधिक वीडियो व फोटो, व मन्दिर के आस पास की फोटो/वीडियो और लोकेशन मिली है व अजीम राणा के मोबाइल फोन में एक विदेशी नम्बर 447555464943, शहजाद भाई भट्टी 3333 के नाम से सेव मिला अजीम राणा उपरोक्त द्वारा शहजाद भट्टी के उपरोक्त मोबाल नं0 पर व्हाट्स एप पर बहुत लम्बी चौटिंग है जिसमे कुछ चौटिंग डिलीट की गयी हैं कुछ मौजूद हैं कुछ वाईस मेसेज हैं तथा सनातन धर्म मन्दिर रमेश नगर के पास दिल्ली का लोकेशन मय फोटो के पडा है एवं मन्दिर के बगल की कालोनी का भी वीडियो पडा है तथा बिसरख ग्रेटर नोएडा के रावण मन्दिर का लोकेशन भी शहजाद भट्टी की चौटिंग मे पडा है। अजीम राणा की गैलरी मे अजीम और आजाद, का शहजाद भट्टी से व्हाट्स एप पर वीडियों कॉल पर बात करते हुए का वीडियो गैलरी में पडा है। आजाद राजपूत के मोबाईल को चेक किया गया तो अजीम राणा के मोबाईल नं0–9634168592 और आजाद राजपूत के मो0नं0– 9627010003 की काफी व्हाट्स चौटिंग हुई है। जिसमे शहजाद भट्टी के खालू से हैदराबाद में मिलने की बात भी है। इन लोगों के सोशल मीडिया प्लेटफार्म का विश्लेषण करने पर यह भी स्पष्ट हुआ कि अजीम राणा शहजाद भट्टी के रिश्तेदार (खालू) के घर नानपल्ली हैदराबाद भी मिलने गया था। और इस संबंध मे आजाद राजपूत और अजीम राणा की आपस मे व्हाट्स एप्प चौटिंग भी है। दोनो के दुबई में शहजाद भट्टी से मिलने जाने के संबंध मे भी चैट मौजूद हैं इसके अलावा आजाद राजपूत के व्हाट्स एप की कुछ चैट डिलीट भी है। अजीम राणा व आजाद राजपूत उपरोक्त के मध्य व्हाट्स एप चौटिंग के अवलोकन से इनके मध्य अति संवेदनशील देश विरोधी चौटिंग होना पायी गयी है। उक्त सभी तथ्यों से स्पष्ट है कि इन दोनों आजाद राजपूत व अजीम राणा के द्वारा दुश्मन देश पाकिस्तान मूल के कुख्यात गैंगस्टर (आईएसआई समर्थित ) शहजाद भट्टी को भारत से रमेश नगर मैट्रो स्टेशन दिल्ली एवं मैट्रो स्टेशन से सटे महत्वपूर्ण सनातन धर्म मंदिर के फोटो वीडियो लोकेशन साझा किये गये जिससे राज्य की सुरक्षा और हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के प्रयोजन से प्रतिसिद्ध स्थल रमेशनगर मैट्रो स्टेशन दिल्ली व मैट्रो स्टेशन से सटे सनातन धर्म मन्दिर की फोटो वीडियो को दुश्मन देश के कुख्यात गैंगस्टर शहजाद भट्टी को भेजकर गुप्त बातें साझा करना, जिसका उद्देश्य किसी बडी संगीन वारदात को अंजाम देना था जिससे देश को अपार क्षति हो सकती थी एवं धार्मिक सदभाव पर प्रतिकूल प्रभाव एवं राष्ट्र को खतरा हो सकता है। अतः अभियुक्तगण अजीम राणा व आजाद राजपूत उपरोक्त का यह कृत्य जुर्म धारा– 152, 61(2) बीएनएस व 3/5 ऑफीशियल सीक्रेट एक्ट का अपराध है। अतः दोनों को कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय 19.01 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। उपरोक्त दोनों के मोबाईल फोनों से मिले ऑडियो रिकार्डिंग/वीड़ियो/फोटो तथा व्हाट्स एप चौटिंग के स्क्रीन शॉट लेकर मुझ उप निरीक्षक द्वारा पेन ड्राईव में संरक्षित कर धारा 64(3) (ग) भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र अभियुक्तगण से प्राप्त किये गये।

**3.** आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है व उसे उक्त मामले में रंजिशन झूठा फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त एक पढ़ा लिखा युवक है तथा वह ग्रेजुएट है तथा वर्तमान में वह चाहर कंस्ट्रक्शन कम्पनी, आदर्श नगर, झज्जर में कार्यरत है तथा साथ ही साथ वह ए०आर० इंजीनियरिंग गुरुग्राम, हरियाणा में पार्ट टाइम में कार्य करता है तथा उसके घर पर यूरिया खाद एवं कीटनाशक और परचून की दूकान है। आवेदक/अभियुक्त को दिनांक 18.03.26 को कथित स्थान व समय पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया था बल्कि उसे दिल्ली से आते समय राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली मेरठ के काशी टोल प्लाजा पर मय उसके अपनी कार यू०पी०–15 डी०एल० 7174 के दिनांक 17.03.26 को समय करीब 4–4.30 शाम के बीच गिरफ्तार किया गया,

जिसका सबूत उक्त टोल प्लाजा की सी०सी०टी०वी० फुटेज में रिकॉर्ड हुआ है। पुलिस थाना–धौलाना द्वारा आवेदक/अभियुक्त को मय उसके कार के दिनांक 17.03.26 को थाना–धौलाना में ले गए जहाँ पर उसकी उक्त कार थाना परिसर में खडी है। अतः पुलिस द्वारा कथित समय व स्थान दिनांकित 18.03.26 पर आवेदक/अभियुक्त की गिरफ्तारी फर्जी है। आवेदक/अभियुक्त को गिरफ्तारी के समय उसको गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया गया है। आवेदक/अभियुक्त की गिरफ्तारी दिनांकित 17.03.26 के समय उसके साथ उसकी गाडी में उसके गाँव के उमर फारूक पुत्र जाबिर व फैसल पुत्र बाबु भी मौजूद थे। आवेदक/अभियुक्त अब न्यायिक हिरासत में डासना जेल में बंद है तथा उसकी हिरासत अवैध है क्यूँकि उसको गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी के आधार लिखित में नहीं बताये गए जैसे की माननीय उच्चतम न्यायालय की अनेक विधिक व्यवस्थाओं में अंकित है। आवेदक/अभियुक्त की गिरफ्तारी दिनांकित 17.03.26 के पश्चात पुलिस थाना–धौलाना गिरफ्तारी के करीब 6 घंटे पश्चात आवेदक/अभियुक्त के गाँव जेई में उसके घर पर गयी थी तथा पुलिस की मौजूदगी आवेदक/अभियुक्त के घर पर लगे सी०सी०टी०वी कैमरे में अंकित है। कथित बरामदगी के समय जनता का कोई निष्पक्ष गवाह नहीं लिया गया है। आवेदक/अभियुक्त की गिरफ्तारी मीमो में भी आवेदक/अभियुक्त को गिरफ्तार करने का कोई कारण अंकित नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त को जब माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश किया गया तो माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रिमांड आदेश में भी उसकी गिरफ्तारी के कारण अंकित नहीं है। उपरोक्त मुकदमा बी०एन०एस० की विभिन्न धाराओं व शासकीय गुप्त बात अधिनियम की विभिन्न धाराओं में साथ–साथ दर्ज किया गया है। बी०एन०एस० एक जनरल एक्ट है एवं शासकीय गुप्त बात अधिनियम एक स्पेशल एक्ट है और ये विधि का सर्वमान्य सिद्धांत है की यदि दो अलग–अलग एक्ट में एक ही अपराध से सम्बंधित अलग–अलग प्रावधान है तो उस स्थिति में स्पेशल एक्ट के प्रावधान लागू होंगे और जनरल एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इस प्रकार वर्तमान मामले में बी०एन०एस० की धारा 152 व 61(2) लागू नहीं होंगी केवल धारा 3, 5 शासकीय गुप्त बात अधिनियम लागू होंगी। यदि यह मान भी लिया जाए कि सह–अभियुक्त ने कोई बात पकिस्तान के किसी नागरिक से की है तो इसमें कोई अपराध नहीं बनता क्योंकि पकिस्तान को भारत सरकार द्वारा दुश्मन देश घोषित नहीं किया गया है। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा किसी भी तरह की कोई बातचीत पाकिस्तान के किसी भी व्यक्ति से नहीं की गयी है। आवेदक/अभियुक्त के उपरोक्त मोबाइल से कोई बात पकिस्तान के किसी भी नागरिक से नहीं की गयी ना ही कोई चैट भेजी गयी और ना ही कोई विडियो भेजी गयी। पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में बताये गए स्थान जिनकी विडियो सह–अभियुक्त द्वारा पकिस्तान में उक्त व्यक्ति को भेजना बताया गया है वो कोई भी स्थान निषिद्ध स्थान नहीं है, आवेदक/अभियुक्त द्वारा कोई भी सीक्रेट ऑफिसियल कोड या पासवर्ड या स्केच आदि जो किसी दुश्मन के लिए उपयोगी हो नहीं भेजा गया जिससे हमारे देश की संप्रभुता व अखंडता पर प्रभाव पड़ा हो। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि कोई सामग्री आवेदक/अभियुक्त द्वारा पाकिस्तान नहीं भेजी गयी तथा ना ही कोई फोटोग्राफ प्रार्थी अभियुक्त के मोबाइल से मिला है। इस प्रकार आवेदक/अभियुक्त ने कोई अपराध जो अं०धा० 3, 5 शासकीय गुप्त बात अधिनियम में दंडनीय है नहीं किया है तथा इन धाराओं में अधिकतम 3 वर्ष के कारावास का प्रावधान है जो मजिस्ट्रेट न्यायलय द्वारा विचारणीय होगा। पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह अंकित किया गया है कि पुलिस द्वारा धारा 64(3) ग भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र अभियुक्तगण से प्राप्त किया गया है। यह कथित प्रमाण–पत्र अवैध है व विधिक रूप से स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 64(3) ग भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कोई धारा ही अंकित नहीं है। पुलिस थाना–धौलाना द्वारा कोई भी प्रमाण–पत्र विधि विज्ञान प्रयोगशाला से उक्त जब्त किये गए दोनों मोबाइल के बारे में नहीं लिया गया है, ऐसी स्थिति में उक्त दोनों कथित मोबाइल में कथित विडियो कॉल का साक्ष्य, साक्ष्य में ग्राहय नहीं है। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा शहजाद भट्टी के फोन द्वारा की गयी चैट अथवा बातचीत के स्क्रीन शॉट लगाये हैं. इन किसी भी स्क्रीन शॉट पर आवेदक/अभियुक्त का मोबाइल नं० अंकित नहीं है एवं पत्रावली पर मौजूद जितने भी मोबाइल के स्क्रीन शॉट की छायाप्रति लगी हुई है इनमें से कोई भी फोन आवेदक/अभियुक्त का नहीं है। आवेदक/अभियुक्त के पास से पुलिस द्वारा आई–फोन बरामद किया गया है एवं सह–अभियुक्त अजीम से एंड्राइड फोन बरामद किया गया है, पत्रवाली पर कहीं पर भी आई–फोन से की गयी चैट के स्क्रीन शॉट मौजद नहीं है। आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध उक्त मामले में किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं है। आवेदक/अभियुक्त की कभी भी किसी प्रकार की कोई बातचीत, चैट पाकिस्तान के किसी भी नागरिक से नहीं हुई है। अब तक की विवेचना में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं आया है जिससे यह साबित हो कि

शहजाद भट्टी आई०एस०आई० का एजेंट हो। आवेदक/अभियुक्त उक्त शहजाद भट्टी को नहीं जानता है तथा ना ही उसका कोई वास्ता उक्त शहजाद भट्टी से कभी रहा है। कथित विडियो में आवेदक/अभियुक्त की आवाज का कोई सैंपल पुलिस द्वारा नहीं लिया गया है जिससे यह साबित हो सके कि आवेदक/अभियुक्त ने कभी भी शहजाद भट्टी से बात की हो। वर्तमान मुकदमे में दौरान विवेचना, मुकदमा चलाने के लिए शासन की अनुमति नहीं ली गयी है जो कि ऑफिसियल सीक्रेट्स एक्ट की धारा 13(3) के अंतर्गत अनिवार्य है। आवेदक/अभियुक्त उचित जमानत देने को तैयार है जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

**4.** उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए, कारित अपराध को गंभीर बताते हुए कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्त के साथ मिलकर व्हाट्सएप चैटिंग के माध्यम से पाकिस्तान मूल के कुख्यात गैंगस्टर (आईएसआई समर्थित) शहजाद भट्टी को भारत से रमेश नगर मैट्रो स्टेशन दिल्ली एवं मैट्रो स्टेशन से सटे महत्वपूर्ण सनातन धर्म मंदिर के फोटो, वीडियो व लोकेशन सांझा करने तथा उक्त के कारण भारत देश की संप्रभुता, एकता एवं अखण्डता के लिए खतरा उत्पन्न किया गया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अत्यन्त गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की मांग की गयी है।

**5.** जमानत प्रार्थना पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक के तर्क सुने तथा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत केस डायरी व अन्य प्रपत्रों का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया।

**6.** आवेदक/अभियुक्त पर आरोप है कि उसने सहअभियुक्त के साथ मिलकर व्हाट्सएप चैटिंग के माध्यम से पाकिस्तान मूल के कुख्यात गैंगस्टर (आईएसआई समर्थित) शहजाद भट्टी को भारत से रमेश नगर मैट्रो स्टेशन दिल्ली एवं मैट्रो स्टेशन से सटे महत्वपूर्ण सनातन धर्म मंदिर के फोटो, वीडियो व लोकेशन सांझा करने तथा उक्त के कारण भारत देश की संप्रभुता, एकता एवं अखण्डता के लिए खतरा उत्पन्न किया। दौरान गिरफ्तारी आवेदक/अभियुक्त व सहअभियुक्त से घटना में प्रयुक्त दो अदद मोबाईल फोन बरामद होना बताया गया है। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा आवेकद/अभियुक्त व सहअभियुक्त द्वारा पाकिस्तान मूल के कुख्यात गैंगस्टर शहजाद भट्टी के साथ हुई व्हाट्सएप चैटिंग का साक्ष्य संकलित किय गया है। आवेकद/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अत्यन्त गंभीर प्रकृति एवं देशविरोधी है। आवेदक/अभियुक्त को झूठा फंसाये जाने का कोई आधार नहीं है। विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र सक्षम न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। अवर न्यायालय द्वारा आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के उपरान्त पत्रावली सैशन सुपुर्द किया जा चुका है और जल्द ही विचारण प्रारम्भ होने की संभावना है। अतः समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये, इस स्तर पर आवेदक/अभियुक्त के जमानत पर छुटने से साक्ष्य व गवाहान के प्रभावित होने की प्रबल संभावना को दृष्टिगत रखते हुए, आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं पाया जाता है। तद्नुसार अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य पाया जाता है।

## <u>आदेश</u>

तदनुसार अभियुक्त **आजाद राजपूत पुत्र नौशाद** की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत प्रार्थनापत्र **निरस्त** किया जाता है।

दिनांक 14.07.2026

प्रभारी, सत्र न्यायाधीश,
हापुड़